कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या / 04बे0स्थाप0 / 296 / स्थाना0 / 2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683 / XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवा–2 / 1519–20 / स्थानांतरण / 2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवायें–3(3) / 06 / 3350–54 / वार्षि0स्था0 / 2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक **स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख) (एक)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम / विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुशील कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पुसोली	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 बिजनी बड़ी, यमकेश्वर
2	श्री सर्वेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सेरोगाड	रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 फतेहपुर, दुगड्डा
3	श्री जयकिशन सिंह राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जल्लू	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 जड़ाऊखाँद, नैनीडांडा
4	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी	स0अ0	रा0आ0प्रा0वि0 बमणगांव	रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 किमसार, यमकेश्वर
5	अमिता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सैंधार	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बागी छोटी, दुगड्डा
6	कुल्सुम बानो	स0अ0	रा0प्रा0वि0 काण्डा तल्ला	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 खुण्डोली, जयहरीखाल
7	श्रीमती रेनू बिष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जखोला	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 गणेशपुर, यमकेश्वर
8	श्रीमती देवेश्वरी रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जल्लू	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 आमसैण, यमकेश्वर
9	वीना रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 किमगड़ी	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 रामागांव, दुगड्डा
10	सुषमा कण्डवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रैतपुर	जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 बिथ्याणी, यमकेश्वर
11	श्री रविन्द्र कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोल्टा	कोट	रा0प्रा0वि0 काण्डा, यमकेश्वर
12	कल्पना उनियाल	स0अ0	रा.प्रा.वि. गोठिण्डा	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 चन्दोलाराई, पौड़ी
13	श्री विक्रान्त चौधरी	स0अ0	रा0आ0प्रा0वि0 बमोली	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 मागथा, यमकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक / अध्यापिकायें स्थानान्तरण **आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढ़वाल।

पृ0सं0 / 04 बे0स्थाप0 / 6335–47 / स्थाना0 / 2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी गढ़वाल।
2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3— अपर जिलाधिकारी पौड़ी।

4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।

5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।

6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।

7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।

8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।

9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या / 04बे0स्थाप0 / 295 / स्थाना0 / 2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683 / XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवा–2 / 1519–20 / स्थानांतरण / 2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवायें–3(3) / 06 / 3350–54 / वार्षि0स्था0 / 2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में **वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख) (दो)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम / विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेनू बेलवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 खुटिडा	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 शंकरपुर, नैनीडांडा
2	सुनीता देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चमगांव	पाबौ	रा0प्रा0वि0 सीकू, पाबौ

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक / अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0 / 04 बे0स्थाप0 / 6322-34 / स्थाना0 / 2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक / अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त / कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

पौडी गढ़वाल।

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 294 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/1519–20/स्थानांतरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें–3(3)/06/3350–54/वार्षि0स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में **वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख)(तीन)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	संगीता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 दमदेवल	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 खैरासैंण, जयहरीखाल,
2	महेश प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बुडाकोट	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पतगांव नैनीडांडा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6309-21 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 293 /स्थाना0/2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/1519–20/स्थानांतरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें–3(3)/06/3350–54/वार्षि0स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में **वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा 17 (1)(ख) (चार)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चमकोटखाल	यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 डाबरी वल्ली, रिखणीखाल
2	श्रीमती तृप्ति रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 अदवाडी	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 मुण्डियाना, रिखणीखाल
3	श्रीमती संगीता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुण्डिल	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 बौसाली, कोट,
4	रेनू रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 नौलीधार	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चौबट्टाखाल, पोखड़ा
5	अंजलि	स0अ0	रा.प्रा.वि. हंसुड़ी	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 चमराड़ा, खिर्सू
6	श्रीमती विजयलक्ष्मी रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ओखल्यूँ	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 अदालीखाल, नैनीडांडा
7	श्रीमती बन्दना भट्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 थनगलीधार	कोट	रा0प्रा0वि0 सल्डा, कोट
8	श्रीमती पूनम रानी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कनाकोट	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0न0पा0 श्रीनगर, खिर्सू
9	श्रीमती सविता सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 जुई	रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 हंडुल जयहरीखाल
10	श्रीमती राधिका प्रकाश	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पाबौ	पाबौ	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6296-6308 /स्थाना0/2026–27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।

7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।

8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।

9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 290 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/1519–20/स्थानांतरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें–3(3)/06/3350–54/वार्षि0स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक **स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा 17 (1)(ख) (पांच)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	इन्द्रा रावत	स0अ0	रा.प्रा.वि. गोविन्दपुर	कल्जीखाल	रा.प्रा.वि. पुण्डोरी, पौड़ी
2	संगीता निराला	स0अ0	रा0प्रा0वि0 उल्ली	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 पिसोली, पौडी
3	अनिता पटवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चोपडा 1	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 गुमाई, पौडी
4	राज्यवर्द्धन परन्दियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कगथुन	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 श्रीकोटखाल, एकेश्वर
5	श्री ओम प्रकाश	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुठ	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बनचूरी, यमकेश्वर
6	श्रीमती सुधा जैन	स0अ0	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट	पाबौ	रा0प्रा0वि0 कोटली पाबौ
7	प्रभात कुमार नौटियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रेवड़ी	पौड़ी	रा0प्रा0वि0 गिरगांव पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6270-82 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।

9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 289 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/1519–20/स्थानांतरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें–3(3)/06/3350–54/वार्षि0स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में **वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख) (एक)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	विजया उनियाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गजवाड	जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 ध्रुवपुर दुगड्डा
2	अनीता भट्ट	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 झवाणा	दुगड्डा	रा0प्रा0वि0 मगनपुर, द्वि0 दुगड्डा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6257-69 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 288 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा–2/1519–20/स्थानांतरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें–3(3)/06/3350–54/वार्षि0स्था0/2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक **स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख) (दो)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	रवीन्द्र सिंह बिष्ट	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 स्योली	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 हीराखाल, यमकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अंशुल बिष्ट) 27/8/26
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6244-56 /स्थाना0/2026–27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 287 /स्थाना0/2026—27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—16 के प्राविधानानुसार **स्थानांतरण सत्र 2026—27** हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—400683/XXX(2)2026/ई—26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा—2/1519—20/स्थानांतरण/2026—27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें—3(3)/06/3350—54/वार्षि0स्था0/2026—27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक **स्थानांतरण अधिनियम—2017 की धारा 17 (1)(ख) (तीन)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री मोहन सिंह नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डाबरी	रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 डेरियाखाल, जयहरीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6231-43 /स्थाना0/2026—27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी गढ़वाल।
2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3— अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6— जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7— मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8— सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9— आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10— सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो

ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 206 /स्थाना0/2026—27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026—27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—400683/XXX(2)2026/ई—26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग—01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवा—2/1519—20/स्थानांतरण/2026—27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक/सेवायें—3(3)/06/3350—54/वार्षि0स्था0/2026—27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में **वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम—2017 की धारा—17 (1)(ख) (चार)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित प्रध्यानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	राजकुमारी शाह	प्र0अ0	रा.प्रा.वि. थापली—2	कल्जीखाल	रा.प्रा.वि. ढिकवाली, पाबौ
2	श्रीमती दुर्गा काला	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भरग्वाड़ी	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 कुल्हाड़ द्वारीखाल
3	रेखा सती	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मंदोली	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 भटोली, खिर्सू
4	श्रीमती ज्योति राय	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भयासूं	रिखणीखाल	रा0प्रा0वि0 रिखेडा यमकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 6210-30 /स्थाना0/2026—27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी गढ़वाल।
2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3— अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6— जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7— मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8— सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9— आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या / 04बे0स्थाप0 / 285 / स्थाना0 / 2026–27 दिंनाक 27 अगस्त 2026

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2026–27 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–400683 / XXX(2)2026/ई–26941 दिनांक 01 जून 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/ XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के अनुपालन में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवा–2 / 1519–20 / स्थानांतरण / 2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / सेवायें–3(3) / 06 / 3350–54 / वार्षि0स्था0 / 2026–27 दिनांक 14 जुलाई 2026 के अनुपालन में वार्षिक **स्थानांतरण अधिनियम–2017 की धारा–17 (1)(ख) (पांच)** में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का **अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय)** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम / विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	कुसुमलता	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 इठुड	पाबौ	रा0प्रा0वि0 श्रीखोन, कोट
2	सरोजलाल	प्र0अ0	रा.प्रा.वि. गोविन्दपुर	कल्जीखाल	रा.प्रा.वि. रणचूला, यमकेश्वर
3	धर्मपाल सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गोर्ली	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 बौसालधार, एकेश्वर
4	इन्दूमोहन नेगी	प्र0अ0	रा0प्र0वि0 टसीला	जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 हण्डुल, जयहरीखाल
5	प्रताप सिंह नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 नौगांव,	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 डण्डा मल्ला, एकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक / अध्यापिकायें **स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह** के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानांतरित अध्यापको को किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

27/8/26

(अंशुल बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
पौडी गढवाल।

पृ0सं0 / 04 बे0स्थाप0 / 6205–17 / स्थाना0 / 2026–27 दिंनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी पौड़ी।
4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
5– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौडी गढवाल।
6– जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद पौड़ी।
7– मुख्य शिक्षा अधिकारी पौडी।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
9– आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

10– सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।

11– सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।

12– स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

13– कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौडी गढवाल।